राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

कमांकः— एफएसएसए/2019/666 दिनॉकः— 31/7/19

1. राज्य अभिहित अधिकारी एव
सयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0),
मुख्यालय।

2. समस्त अभिहित अधिकारी एव
मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः— रक्षा बन्धन के अवसर पर दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों के प्रभावी नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु विशेष अभियान दिनांक 01.08.2019 से 15.08.2019 तक आयोजित करने के संबध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रक्षाबधन के त्यौहार पर खाद्य पदार्थो की माग/खपत बढने के कारण बाजार मे खाद्य सामग्रियो के अभाव के कारण अनेक निर्माता/व्यापारियो द्वारा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो की बिकी बाजार मे किये जाने की सम्भावना है। अत रक्षाबधन के पर्व पर अपमिश्रित खाद्य पदार्थो की बिक्री पर प्रभावी अकुश/नियत्रण हेतु आप अपने सम्भाग/जिलो मे दिनाक **01.08.2019 से 15.08.2019** तक विशेष अभियान चलाकर नमूनीकरण/निरीक्षण की प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

उक्त अभियान मे खाद्य सुरक्षा अधिकारियो को नमूनीकरण कार्यवाही हेतु सभी अभिहित अधिकारियो द्वारा पर्याप्त मात्रा मे स्लिप व अन्य सामग्री आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायी जावे। **जिले में गठित प्रत्येक दल को प्रतिदिन 04 निरीक्षण व 04 नमूनीकरण का लक्ष्य आवंटित किया जा रहा है,** नमूनीकरण का कार्य एक्ट के तहत कराया जाना सुनिश्चित करे एव अभियान के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जावे। परिस्थिति अनुसार आवश्यकता पडने पर रसद विभाग, डेयरी विभाग एव पुलिस विभाग की सहायता प्राप्त करे।

लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित नहीं किये जाने पर सम्बधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अभियान की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन नियमित रूप से एफएसएसए अनुभाग की ईमेल आईडी **adrh-rj@nic.in** पर निम्न प्रपत्रानुसार सॉफ्ट कॉपी (ऐक्सल शीट) मे एव हस्ताक्षरसहित हार्ड कॉपी भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। **प्रतिदिन सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि जिले में विशेष अभियान के अन्तर्गत नमूनीकरण/निरीक्षण नहीं किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सबंधित अभिहित अधिकारी एव खाद्य सुरक्षा अधिकारी की होगी।**

प्रपत्र

निरीक्षण एवं नमूनीकरण की सूचना प्रपत्र							
जिले का नामः—...............................					दिनांकः—........................		
क0 सं0	नमूनीकरण/ निरीक्षण करने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम	नमूनीकरण/ निरीक्षण किये गये प्रतिष्ठान का नाम व पूर्ण पता	दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ का नाम	नमूना कोड/ क्रमाक	निरीक्षण मे पाई गई कमी का विवरण	नष्ट/सीज करवाये गए माल का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

30/7/19

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

कमांकः— एफएसएसए/2019/666 दिनॉकः— 31/7/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एव स्वास्थ्य मत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव माननीय मत्री, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
4 निजी सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) मुख्यालय।
6 समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
7. अति0 निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
8. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, जोन राजस्थान।
9. मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर। **chief.public.analyst@gmail.com**
10 समस्त खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाऐ, राजस्थान।
11. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
12. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बधित को ईमेल कर विभाग की वेबसाईट पर भी अपलोड करे।
13. रक्षित पत्रावली।

30/7/19

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एव
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।